न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा आर.ए एस.

वाद संख्या :– 165/2014 **दायरा दिनांक :– 15.07.2014**

1. पुष्पा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी सूरतगढ़ हाल मकान न. 364 ताराचन्द वाटिका के पास, वार्ड न. 10 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– वादीया

बनाम

1. भोमासिह पुत्र श्री मेघसिह जाति राजपूत निवासी लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :– वादीया
2 श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1

वाद सख्या :– 119/2014

भोमसिह पुत्र श्री मघसिह जाति राजपूत निवासी लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1. पुष्पादेवी पत्नी श्री रमेशचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी लधेर हाल सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. रमेश चन्द्र पुत्र श्री ..... जाति ब्राहम्ण निवासी लधेर हाल सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता :– वादी
2 श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1 व 2
3 पैरोकार राज नायब तहसीलदार

–:: निर्णय ::– दिनाक 24/09/2020

उपरोक्त दोनो प्रकरण में वर्णित रकबा समान होने व पक्षकार समान होने से दोनो प्रकरणो समेकिंत होने से दोनो का एक साथ निर्णय किया जाता है। दोनो प्रकरणो में निर्णय की एक – एक प्रति रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

दावा न. 165/2014 पुष्पादेवी बनाम भोमसिह में वादीया ने यह अन्तर्गत धारा 183–209 आरटीए में दावा पेशकर निवेदन किया है कि वादीया के नाम से रोही लधेर के खसरा न. 65 में 1.720 हैक. व खसरा न. 81 में 4.607 हैक. व खसरा न. 112 में 4.553 हैक. व खसरा न. 199 में 2.402 हैक. इस प्रकार चारो खसरो में कुल 13.282 हैक. बारानी प्रथम रकबा खातेदारी है। जिस पर वादीया ने भारी मेहनत व खर्चा लगाकर उपजाउ बनाया है तथा वादीया ने अपने खसरा के रकबा की सींव अलग बना रखी थी। वादीया के खसरा न. 112 से चिपता पश्चिमी दिशा में प्रतिवादी न. 1 का खसरा न. 110 का रकबा सयुक्त खाता का रकबा है उसने खसरा न. 110 के रकबा की आड में वादीया के खसरा न. 112 के पश्चिमी दिशा में 6½ बिस्वा चौड़ा व करीब 3.00 बीघा लम्बा (खसरा न. 110 से चिपता) इस प्रकार वादीया के लगभग 1.00 बीघा रकबा पर दावा दर्ज होने से करीब 6 माह पहले नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया था इस पर वादीया ने यह कब्जा हटाने का कहा तो वो इन्कार हो गया पैमाईश भी पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से कमेटी बनाकर करवा ली परन्तु पैमाईश वाले दिन पटवारी हल्का ने कब्जा हस्तानांतरण नही होने दिया इसलिये वादीया को जरिये पुलिस कब्जा दिलाया जावे व कब्जा ना मिलने तक इस रकबा के लिये 5,000/– प्रतिबीघा प्रतिवर्ष से नकद प्रतिभूति राशि कायम की जाकर यह राशि तथा रकम व मालकाना का 50 गुणा वादीया को दिलाया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी न. 1 ने जवाब दावा पेशकर अर्ज किया कि उसका वादीया के रकबा पर कोई कब्जा नही है वादीया का रकबा अलग खसरा का है, मेरा रकबा अलग खसरो का है वादीया ने उसके चिपते सयुक्त खाता के दर्ज तमाम प्रतिवादी के पक्षकार नही बनाया है बिना सही पैमाईश वादीया के रकबा पर प्रतिवादी का कब्जा मानना झूठी बात है तथा बिना पैमाईश किये रकबा रिसीवर किया जाना उचित नही है। इसलिये दावा खारिज किया जावे तथा प्रतिदावा अन्तर्गत धारा 188–209 आरटीए में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके नाम से रोही लधेर के खसरा न. 110 में 2.149 हैक. व खसरा न. 174 में 2.402 हैक. व खसरा न. 397 में 6.071 हैक. इस प्रकार कुल 10.622 हैक. में से 4.551 हैक. रकबा खातेदारी है प्रतिवादी एंव वादीया का रकबा अलग – अलग खसरो का रकबा है प्रतिवादी को उक्त रकबा अपने पिता से विरास्तन में प्राप्त हुआ है इसमें शीशम व खेजड़ी के पेड़ लगाये हुये है इसलिये वादीया के खिलाफ चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि प्रतिवादी के कब्जा काश्त में किसी तरह की दखल ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावे जिसका जवाब प्रतिदावा वादीया ने प्रस्तुत कर प्रतिदावा के तथ्यो के इन्कार करते हुये अपने खसरा न. 112 के रकबा प्रतिवादी को अतिक्रमी घोषित कर कब्जा जरिये पुलिस छुड़ाने का निवेदन किया।

दावा न. 119/14 बअनवान भोमसिह बनाम पुष्पादेवी में वादी भोमसिह ने दावा प्रस्तुत कर रोही लधेर के खसरा न. 110 में 2.149 हैक. व खसरा न. 174 में 2.402 हैक. व खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

न. 397 में 6.071 हैक. कुल 10.622 हैक. में 4.551 हैक. रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर वादी ने प्रतिवादीया के खिलाफ चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया कि इस रकबा पर किसी तरह की दखल ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवावे।

यह दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु साधारण व रजिस्ट्रर्ड सम्मन पेश करने का आदेश दिया परन्तु प्रतिवादी भोमसिह द्वारा दावा न. 165/2014 में प्रतिदावा इन्ही धाराओ में यही अनुतोष मांग लिये जाने पर दिनाक 05.01.2016 को इस दोनो दावो को समेकिंत किया व तनकीयात बनाई गई।

1. आया कि वादीया रोही लधेर के खसरा न. 65 में 1.720 हैक. व खसरा न. 81 में 4.607 हैक. व खसरा न. 112 में 4.553 हैक. व खसरा न. 199 में 2.402 हैक. इस प्रकार चारो खसरो में कुल 13.282 हैक. रकबा के खातेदार कृषक है।

–वादीया

2. आया वादीया रोही लधेर के खसरा न. 112 के 4.553 हैक. रकबा की खातेदार कृषक होने से इस रकबा का फसली फायदा उठाने की हकदार है।

–वादीया

3. आया प्रतिवादी न. 1 वादीया के रोही लधेर के खसरा न. 112 के पश्चिती दिशा 6.5 बिस्वा चौड़ा व 3.00 बीघा लम्बा कुल 1.00 बीघा रकबा (खसरा न. 110 से चिपता) अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है।

–वादीया

4. आया वादी प्रतिवादी न. 1 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की हकदार है व दौरान दावा 5000 रूप्ये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रतिवादी न. 1 से प्राप्त करने की हकदार है।

–वादीया

5. आया प्रतिवादी न. 1 अपने खातेदारी रकबा रोही लधेर के खसरा न. 110 के 2.148 हैक. व खसरा न. 174 के 2.402 हैक. व खसरा न. 397 के 6.071 हैक. कुल 10.622 हैक. में से 4.551 हैक. रकबा के लिये वादीया के खिलाफ चिरस्थायी निंषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है।

– प्रतिवादी

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू 1 पुष्पादेवी व पीडब्लयू 2 रमेश चन्द्र के ब्यान करवाये गये व डी1 खुद भोमसिह व डी2 कालूसिह पुत्र श्री भोमसिह के शपथ पत्र पर ब्यान करवाये गये। तत्पश्चात् दोनो पक्षो की बहस सुनी गई व निम्नानुसार तनकीयात निर्णय किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न. 1 व 2 :– इन दोनो तनकीयात को साबित करने का भार वादीया पर है दस्तावेजी साक्ष्य रोही लधेर की सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 72 की जमाबन्दी प्रदर्श न. 1 के अनुसार वादीया रोही लधेर के खसरा न. 65, 81, 112, 119 में 13.282 हैक. रकबा की खातेदार कृषक है तथा खसरा न. 112 में 4.553 हैक. रकबा खातेदारी दर्ज है तथा रोही लधेर के नक्शा के अनुसार खसरा न. 110 व 112 का खसरा की सीव से चिपती है। वादीया 13.282 हैक. बारानी रकबा की खातेदार साबित है इसलिये इन रकबा का फसली फायदा उठाने की हकदार वादीया ही है। इस प्रकार इस तनकीयात का निर्णय बहक वादीया किया जाता है।

तनकी न. 3:– इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है वादीया द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का पैमाईश रिपोर्ट प्रदर्श न. 3 ए से उसी के अनुसार वादीया ने अपने रकबा की पैमाईश करवाने का काफी प्रयास किया दिनाक 10.05.2014 की दैनिक डायरी के अनुसार खसरा न. 112 व 199 के रकबा की पैमाईश के समय पड़ौसी काश्तकारो ने विवाद किया है इसलिये पटवारी हल्का ने कानून व्यवस्था को साथ लेकर सीमाज्ञान का निवेदन किया है इस पर दिनाक 21.06.2014 को पड़ौसी काश्तकार नही आने से पैमाईश नही हो सकी व दिनाक 10.07.2014 को गठित कमेटी के साथ बीट कास्टेबल सुरेश कुमार इस प्रकार पुलिस की उपस्थिति में पैमाईश जीपीएस से की गई व वादीया के रकबा का दावे भी लगाये गये सीमाज्ञान होने के बाद खसरा न. 110 की उतरी – पश्चिमी व दक्षिणी – पश्चिमी दिशा में लगाये दावो पर कब्जा परिवर्तन नही होने दिया इस प्रकार वादीया के रोही लधेर के खसरा न. 112 के करीब 1.00 बीघा रकबा पर अतिक्रमण कर रखा है तथा इस खसरा न. 112 के रकबा में प्रतिवादी को काबिज रहने का कोई हक नही है इस रकबा का फसली फायदा उठाने का हक भी प्रतिवादी को नही है इस प्रकार प्रतिवादी न. 1 वादीया पुष्पादेवी के खसरा न. 112 के रकबा पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादीया किया जाता है।

तनकी न. 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है चुकि: तनकी न. 03 में यह साबित हो गया है कि प्रतिवादी भोमसिह वादीया पुष्पादेवी के रोही लधेर के खसरा न. 112 के रकबा पर अतिक्रमी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

की हैसियत से काबिज है जिसके खिलाफ वादीया ने यह दावा वाद कारण दिनाक 25.07.2014 से दावा पेश किया चुकि इस रकबा की फसली उपज से वादीया को प्रतिवादी ने महरूम कर रखा है इसलिये प्रतिवादी के विरूद्व रकबा बारानी किस्म का होने से वादीया 5,000/— रूप्ये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से दिनाक 25.07.2014 से वादीया को कब्जा मिलने तक प्राप्त करने की हकदार है। परन्तु वादीया पुष्पादेवी के खसरा न. 112 के रकबा की पैमाईश नायब तहसीलदार राजियासर की उपस्थिति करवाकर जितने रकबा पर प्रतिवादी का अतिक्रमण पाया जावे उतने रकबा का तुरन्त वादीया पुष्पादेवी को कब्जा दिलाया जाकर अतिक्रमित रकबा पर दिनाक 25.07.2014 से 5,000/— रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रतिभूति राशि कायम कर यह राशि प्रतिवादी से वादीया प्राप्त करने की हकदार है। इस तनकी का निर्णय बहक वादीया किया जाता है।

तनकी न. 5 :— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण न. 1 पर है। प्रतिवादी न. 1 ने दावा की विवादित आराजी रोही लधेर के 10.622 हैक. में से अपना 4.551 हैक. रकबा बाबत चिरस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि वादीया के द्वारा अपने रकबा की पैमाईश कमेटी से पुलिस की उपस्थिति में दिनाक 10.07.2014 को करवाई है इसके पश्चात् वादीया को उसके रकबा का कब्जा ना मिले इसी वजह से यह दावा पेश करना साबित हो रहा है प्रतिवादी ने अपने ब्यानो की जिरह में शपथ पत्र में क्या लिखा उसे ज्ञान ना होना स्वीकार किया है तथा अपने खाता में अन्य सहखातेदार नही है ब्यान दे रहा है जबकि जमाबन्दी के अनुसार उसके खाता में सहखातेदार है तथा वादीया ने जवाब पेशकर निवेदन किया है कि वह तो अपने रकबा का कब्जा छुड़ाना चाहती है प्रतिवादी के रकबा में दखल करने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि वादीया ने कभी प्रतिवादी के रकबा पर दखल की हो। प्रतिवादी के अपने क्यासो के आधार पर दावा न. 119/14 व इस प्रकरण में प्रतिदावा पेश किया है इसलिये इस तनकी को प्रतिवादी साबित नही कर पाया है इसलिये इस तनकी का निर्णय खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार तनकी न. 1 ता 4 को वादीया ने पूर्णतया साबित कर दिया वादीया के नाम के रोही लधेर के खसरा न. 112 के रकबा पर प्रतिवादी न. 1 को अतिक्रमी घोषित किया जाता है परन्तु न्यायहित में नायब तहसीलदार राजियासर को आदेश दिया जाता है कि वो वादीया के रोही लधेर के खसरा न. 112 के रकबा की पैमाईश पटवारी हल्का को साथ लेकर पुलिस थाना राजियासर से पुलिस इमदाद लेकर पैमाईश करवाकर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीया को दिलाया जावे व इसी नुसार नकद प्रतिभूति राशि वादीया को दिलाई जानी उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत वाद पत्र सख्या 119/2014 बअनवान भोमसिह बनाम पुष्पा देवी आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है व वादीया पुष्पा द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सख्या 165/2014 पुष्पादेवी बनाम भोमसिह डिक्री किया जाकर प्रतिवादी न. 1 को वादीया के रोही लधेर के खसरा न. 112 के 1.00 बीघा रकबा पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है नायब तहसीलदार राजियासर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त विवादित भूमि की पैमाईश पटवारी हल्का को साथ लेकर राजियासर पुलिस थाना की सहायता लेकर सीमाज्ञान करवाकर अतिक्रमित पाये गये रकबा पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीया को दिलावे तथा अतिक्रमित पाई गई भूमि का प्रतिवादी द्वारा जबरिया कब्जा करने की दिनाक 25.07.2014 से 5,000/— रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से राशि कायम कर प्रतिवादी से वसूल कर वादीया को दिलाई जावे। वाद खर्चा उभयपक्ष अपना — अपना वहन करे। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

–: परचा डिक्री :–

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, (आर.ए.एस.)

–:: बअनवान ::–

1. पुष्पा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी सूरतगढ़ हाल मकान न. 364 ताराचन्द वाटिका के पास, वार्ड न. 10 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– वादीया

बनाम

1. भोमासिह पुत्र श्री मेघसिह जाति राजपूत निवासी लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 – 209 आरटीए 1955 मकदमा न. 165 वर्ष 2014 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीया श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादी श्री सुरेन्द सुथार एडवोकेट के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद सख्या :– 119/2014 बअनवान भोमसिह बनाम पुष्पादेवी आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है व वाद पत्र सख्या 165/2014 बअनवान पुष्पादेवी बनाम भोमसिह डिक्री किया जाकर प्रतिवादी न. 1 को वादीया के रोही लधेर के खसरा न. 112 के 1.00 बीघा रकबा पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। नायब तहसीलदार राजियासर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त विवादित भूमि की पैमाईश पटवारी हल्का को साथ लेकर पुलिस थाना राजिासर की इमदाद लेकर सीमाज्ञान करवाकर अतिक्रमित पाये गये रकबा पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीया को दिलावे तथा अतिक्रमित पाई गई भूमि का प्रतिवादी द्वारा जबरिया कब्जा करने की दिनाक 25.07.2014 से 5,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से कायम कर प्रतिवादी से वसूल कर वादीया को दिलाई जावे। वाद खर्चा उभयपक्ष अपना – अपना वहन करे।

नोज ----------X---------- मुबलिग ----------X---------- बाबत् ----------X---------- खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह ----------X---------- फस्दो की पालना ----------X---------- आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे।

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.09.20 को जारी की गयी।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested